न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 267/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गुलाब कंवर पत्नी भंवरलाल जाति राजपूत निवासी 349, भंवरसिह का बेरा, इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर		1– लक्ष्मीनारायण पुत्र लालूराम उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 2– वासुदेव पुत्र लालुराम उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी एच/31 शास्त्री नगर जोधपुर 3– परमेश्वरी देवी पत्नी भंवरलाल 4– अनिल पुत्र भंवरलाल 5– प्रवीण पुत्र भंवरलाल जातियान ब्राह्मण निवासी प्लोट नंबर 74, 7वी विस्तार योजना, न्यू पावर हाऊस रोड, जोधपुर 6– भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी 242ए– शास्त्री नगर, जोधपुर 7– सायर कंवर पत्नी भागीरथ (अपील के दौरान नाम डिलीट) ब्राह्मण निवासी 242ए– शास्त्री नगर, जोधपुर 8–सुभाष पुत्र बाबूलाल उर्फ बाबूराम जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णानगर, झालामण्ड,जोधपुर 9–अशोक पुत्र बाबूलाल उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी वैष्णव नगर दादू दयाल मार्ग, मकान नंबर 397, बिडला डे हॉस्टल के पास, जोधपुर 10–सरला पुत्री बाबूलाल पत्नी धरमीधर जाति ब्राह्मण निवासी अटपडा तहसील सोजत, जिला पाली 11–सुमन पुत्री बाबूलाल पत्नी अशोकजी ब्राह्मण, निवासी जे.के.व्हाईट सीमेन्ट कॉलोनी, गोटन जिला नागौर 12– पवन पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर 13–हरीश पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर 14–कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका, जोधपुर 15–पूजा उर्फ अर्चना पुत्री सत्यनारायण ब्राह्मण पत्नी सुरेश तिवाडी,निवासी आगोलाई, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 16–माया पुत्री सत्यनारायणजी ब्राह्मण पत्नी शांतिलाल जी व्यास निवासी भूरटिया सूरसागर जोधपुर 17–दाऊलाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		18– कमला पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका, जोधपुर (अपील के दौरान नाम डिलीट) 19– जुगलकिशोर के का0मुकाम– 19/1– श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री स्व0 जुगलकिशोर पत्नी बंकट लाल पारीक निवासी "माजीसा" सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर 19/2--जगदीशचंद्र पारीक पुत्र स्व0 जुगलकिशोर निवासी प्लोट नंबर 194, महावीरपुरम वन वर्ल्ड के पीछे, चौपासनी हॉस्पीटल रोड, जोधपुर 19/3--अनुसुया पुत्री स्व0 जुगल किशोर पत्नी रमेशचंद्र पारीक, निवासी प्लॉट संख्या 138, टेगोर नगर सर्किट हाऊस के पीछे, पाली 20– तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–11–2012 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2010 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम भंवरलाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अमित मेहता अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 से 5 की ओर से ।
3– श्री किशोर सिह रेस्पो0 संख्या 6,8,17 एवं 19/1 व 19/3 की ओर से।
4– देवेन्द्र सिह चंपावत रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से ।
5– देवेन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संभी स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम के उतराधिकारीगण है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम लिखना रह गया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारद कर दिया जो स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर

सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौजा इन्द्रोका स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि मे 1/3 भाग मे प्रार्थीगण के पिता का नाम स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे सही दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अन्य अपील संख्या 252/2017 अनवान लादूसिह बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को ही अपनी बहस का अंग सुमार करते हुए तथा अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अपील मे वर्णित विवादित आराजी मे सहखातेदार है तथा कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 6 से 19 से उनके हिस्से की ग्राम इन्द्रोका के खातेदारी की खसरा नंबर 302 एवं 338 भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 6–8–2009 से खरीद की थी तथा मौके पर भौतिक रूप सें कब्जा भी प्राप्त कर लिया था तथा राजस्व रेकर्ड मे इसका इन्द्राज भी हो चुका था परंतु उक्त तमाम जानकारी के बावजुद वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का सद्भावी केता है तथा अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि का भुगतान कर कय की है इसलिए यदि रेस्पो0 अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपना हक अधिकार होना मानता है तो उसे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे हुए समस्त पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना होगा तथा यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को किसी प्रकार के राईट हासिल नही हो सकते परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 स्वयं ने दिनांक 20–10–88 को उक्त खसरा नंबर 338 की रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नंबर 302 की 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट के स्व0 पति भंवरसिह से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान करने का इकरार किया था तथा इकरारनामे मे रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने स्पष्ट कथन किया था कि राजस्व रेकर्ड मे उनके नाम का इन्द्राज नही है उसके बावजुद वर्ष 1988 से लेकर 2010 तक रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने इतनी अवधि तक कोई कार्यवाही नही की इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत अपने अधिकारो की घोषणा नही करवा सकता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारीज योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट को जो कि राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज होते हुए जानबूझकर उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा सुनवाई का अवसर नही दिया जबकि धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट मे स्पष्ट प्रावधान है कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा राजस्व रेकर्ड मे हुइ त्रुटि को स्वीकार करने पर रेकर्ड मे इन्द्राज दुरस्ती की जा सकती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण जो हितबद्ध पक्षकार था जिन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रावधानो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया , इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को विवादित आराजी मे अपीलांट के हक व अधिकार को प्रभावित करने का कोई हक व अधिकार नही है तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को राजस्व रेकर्ड मे बालूराम उर्फ लालूराम के इन्द्राज की जानकारी वर्ष 1988 से थी तो वर्ष 2012 तक कोई कार्यवाही क्यो नही की । अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट व्यथित होने से धारा 96 सी.पी. सी के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट ने वर्तमान अपील पेश की थी जिस पर न्यायालय हाजा ने मुझे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार मानते हुए प्रथम आदेशिका मे ही मेरे पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया था इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित आम मुख्त्यारनामे, बेचाननामे एवं जमाबंदी राजस्व रेकर्ड आदि फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत कर अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा,

खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम सहवन से लिखना रह गया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारत करते हुए शेष खातेदारान का 1/3 हिस्सा की बजाय 2/3 हिस्सा बता दिया, इसी प्रकार जमाबंदी मे एक हिस्सेदार बाबुलाल, सत्यनारायण पि0 अमोलकचंद का 1/8 हिस्सा था, उसमे बाबुलाल का नाम हटाकर बालुराम लिख दिया व जिसे अमोलकचंद का पुत्र बता दिया जबकि लालुराम उर्फ बालुराम के पिता का नाम नेनूराम था, राजस्व रेकर्ड में हुई उक्त दोनो त्रुटियां स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी की होने से राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटिवशः इन्द्राज चलते रहे जिन्हे दुरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण समस्त केतागण है जिन्होने अपील मे वर्णित विभिन्न खसरान क्रमशःखसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा भूमि के केतागण है परंतु अपील मे वर्णित खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बीघा भूमि का बेचान किसी पक्षकार द्वारा नही किया है अर्थात् कुल 77 बीघा 05 बिस्वा भूमि मे से 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि अभी बेचान से शेष है ऐसे मे यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे अपीलांटगण अपनी खरीदसुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा सकते है तथा शेष बची 42.10 बीघा भूमि मे से रेस्पो0गण का कुल भूमि मे से 1/3 हिस्से के संबंध मे यदि रेकर्ड दुरस्ती की जाती है तो अपीलांटगण के हित किसी प्रकार से प्रभावित नही होगें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि की जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के जरिये रेकर्ड दुरस्ती के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे कोई मयाद नही है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि की जानकारी किसी भी समय होने पर उसे दुरस्त करने का अधिकार लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर को है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड की जाचं एवं परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय के जरिये राजस्व रेकर्ड मे पूर्व मे दर्ज रकबे को पूरा करने के लिए कुल रकबा 77.05 बीघा मे 1/3 भाग

प्रार्थीगण के पिता स्व0 लादूराम उर्फ बालूराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अन्य रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न दिनांक 19–7–2019 को प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया ।

बर्तमान प्रकरण में अपीलांटगण अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के सद्भावी केता है तथा उनके पक्ष मे समय–समय पर हुए पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे उनका नाम दर्ज हो चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम लिखना रह गया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारत कर दिया जो स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी मे एक हिस्सेदार बाबुलाल, सत्यनारायण पि0 अमोलकचंद का 1/8 हिस्सा था, उसमे बाबुलाल का नाम हटाकर बालुराम लिख दिया व जिसे अमोलकचंद का पुत्र बता दिया जबकि लालुराम उर्फ बालुराम के पिता का नाम नेनूराम था, राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही इस त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 35 वर्ष पूर्व राजस्व रेकर्ड मे हुई लिपिकीय त्रुटि को बिना वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये तथा तत्समय राजस्व रेकर्ड के खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये ही धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 35 वर्ष पूर्व के इन्द्राजात को दुरस्त करते हुए एक मृत व्यक्ति स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान 338, 302, की भूमि के रेकर्डेड खातेदारान ने अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान वर्ष 2009 मे ही वर्तमान अपीलांटगण को कर दिया था तथा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे पूर्व खातेदारो के स्थान पर अपीलांटगण (केतागणो) का नाम

दर्ज हो चुका था तो रेस्पो0गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे रेकर्ड की सही वस्तुस्थिति प्रकट करते हुए तथा वर्तमान खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर 35 वर्ष पूर्व के इन्द्राज परिवर्तन को बहाल करने से पूर्व तत्समय राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जो अपीलांटगण की खरीदसुदा खसरा नंबरान की खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलांटगण सीधे प्रभावित पक्षकार होने से उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नेचुरल जस्टिस के विपरीत एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

हालांकि अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस मे उठाये गये अन्य बिन्दुओ एवं उसके समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नज़ीरो मे दिये गये अभिमतो का इस निर्णय मे उल्लेख किये बिना हम उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना न्यायोचत समझते है कि वे उनके समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित खसरा नंबरान से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड तलब कर उसका अवलोकन करे, मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट रेकर्ड पर मंगवाने के बाद वर्तमान अपीलांट एवं अपीलाधीन भूमि के अन्य हितबद्व खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए उन्हे नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के मध्यनजर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर